WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Closure of sick jute mills under Jute Corporation of India

*525. SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have finalised the closure of some sick mills of Jute Corporation of India; and

(b) if so, number of such mills State-wise stating the reasons for their closure?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) Jute Corporation of India does not own any jute mill.

बिहार में सेना प्रशिक्षण केन्द्र

*526. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन-किन स्थानों पर सेना के कार्मिकों के प्रशिक्षण और आवास की स्थायी व्यवस्था विद्यमान है;

(ख) उनमें से किन-किन स्थानों पर छावनी क्षेत्र समितियां कार्यरत हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) क्या पूर्वोक्त समितियों में सेना के कार्मिकों के अतिरिक्त असैनिक व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) बिहार में निम्नलिखित 8 सैन्य स्टेशन हैं और दानापुर तथा रामगढ़ में एक-एक छावनी है। दो प्रशिक्षण स्थापनाएं जहां पर सेना कार्मिकों के ठहरने की व्यवस्था है, रामगढ़ में हैं और दानापुर तथा गया में एक-एक प्रशिक्षण स्थापना है :

1. गया
2. जमशेदपुर
3. रांची
4. बरौनी
5. मुजफ्फरपुर
6. जमालपुर
7. छपरा
8. धनबाद

दानापुर और रामगढ़ श्रेणी-1 की छावनियां हैं। छावनी अधिनियम, 1924 के अनुसार श्रेणी-1 के छावनी बोर्डों में 7 नामित पदेन सदस्यों और आम चुनावों में मतदाताओं द्वारा चुने गए 7 सदस्य होते हैं। छावनी बोर्ड का उपाध्यक्ष एक सिविलियन होता है। प्रत्येक छावनी प्राय: दो भागों में बटी होती है—अर्थात् अधिसूचित सिविल (बाजार) क्षेत्र तथा बाहरी क्षेत्र, जिसे बंगला क्षेत्र कहा जाता है। सभी छावनियों में सिविल क्षेत्रों के लिए जहां मुख्यत: सिविलियन आबादी है, एक सिविल क्षेत्र समिति है जिसके अध्यक्ष छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं जो कि एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। इस समिति को सिविल क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। यह एक सांविधिक समिति होती है, जिसमें सभी निर्वाचित सदस्य छावनी स्वास्थ्य अधिकारी और छावनी कार्यपालक अभियंता शामिल होते हैं। सैन्य स्टेशन केवल सेना कार्मिकों के लिए होते हैं, और इन स्टेशनों पर सिविलियनों को बसने की इजाजत नहीं दी जाती है।